



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223567
CG-DL-E-08122020-223567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3882]
No. 3882]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्रहायण 16, 1942
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4422(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2079 (अ) तारीख 18.06.2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26.06.2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लिंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जगदीशपुर - हल्दिया एण्ड धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट
दोभी से हल्दिया

राज्य: झारखण्ड

जिला	तहसील	गाँव	थाना नं०	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर - आर - वर्ग मीटर		
चतरा	इटखोरी	टोनाटांड	106	805	00	05	34
चतरा	कान्हाचट्टी	राजपुर	79	1077	00	02	71
				1066	00	04	65
हजारीबाग	बरकट्टा	गोरहर	123	10935	00	00	51
				647	00	00	66
				648	01	00	81
				3801	00	00	03
				3828	00	00	42
				3821	00	06	68
				3879	01	07	04
				3887	00	01	68
				5245	00	00	17
				5248	00	01	43
				5237	00	00	98
				5236	00	00	21
				5235	00	01	52
				5691	00	06	78

[फा. सं. एल-14014 / 27 / 2020-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4422(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2079 (E) dated 18.06.2020 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated 26.06.2020, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline Project Dobhi To Haldia

State - Jharkhand

Distt.	Block	Village	Thana No	Survey No.	Area		
					Hec.	Are	Sq. mtr.
Chatra	Itkhor	Tonatand	106	805	00	05	34
Chatra	Kanhachatti	Rajpur	79	1077	00	02	71
				1066	00	04	65
Hazaribagh	Barkatta	Gorhar	123	10935	00	00	51
				647	00	00	66
				648	01	00	81
				3801	00	00	03
				3828	00	00	42
				3821	00	06	68
				3879	01	07	04
				3887	00	01	68
				5245	00	00	17
				5248	00	01	43
				5237	00	00	98
				5236	00	00	21
				5235	00	01	52
				5691	00	06	78

[F. No. L-14014/27/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.